UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

Phone no./Fax no. 01370-260070 E.mail- eepwdkirtinagar@rediffmail.com

पत्रांक 2260 /33 सी दिनांक 05/08/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती।

विषय – जनपद टिहरी गढवाल में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 71/2017 के अर्न्तगत विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड कीर्तिनगर के अंर्तगत राडागाड से टोला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 3.425 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **(Online No.FP/UK/ROAD/49457/2020)**

सन्दर्भ – आपका पत्रांक 2567./12-1 दिनांक 24.02.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक वर्णित मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का पत्रांक 8वी0/यू0सी0पी0/06/02/2021/एफ0सी0/2160 दिनांक 27.01.2021 द्वारा प्राप्त है। भारत सरकार के पत्र में वर्णित सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या पांच–पांच प्रतियों में निम्नप्रकार से प्रेषित की जा रही है :–

शर्त सं0 1 :– के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 2 :– के अनुपालन में अवगत कराना है कि परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपे जाने के पश्चात ही वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपी जायेगी। (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 3(क) :– के अनुपालन में वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर ग्राम राडागाड की 6.85 हे0 सिविल सोयम भूमि खसरा संख्या 4709,4827,5732,5736,5738,5739,5774,5776,5781,5790 पर स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों का रोपण कर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा एवं प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रु० 2309710.00 चालान संख्या 4417 दिनॉक 08.07.2021 द्वारा जमा करा दी गयी है ।

शर्त सं0 3(ख) :– के अनुपालन में अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के समय कम से कम 50 प्रतिषत ओक प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 3(ग) :– के अनुपालन में अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम राडागाड की सिविल सोयम भूमि जिसका क्षेत्रफल 6.85 है0 है, को भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत 6 माह के अंतर्गत वनविभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित कर आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा (जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल द्वारा प्रदत्त भूमि हस्तान्तरण की प्रति एवं प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 3(घ) :– के अनुपालन में अवगत कराना है कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।

शर्त सं0 4 :– के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरो पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भन हेतु लागत रू0 633000.00 की धनराशि ऑनलाइन ई चालान संख्या **B5450001** दिनॉक 06.06.2023 द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी गई है। (चालान की प्रति एवं प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 5(क) :– के अनुपालन में अवगत कराना है कि भारत सरकार के प0सं0 5–3/2007–एफ.सी. दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये निर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित धनराशि रू0 2894125.00 चालान संख्या 4417 दिनॉक 08.07.2021 द्वारा जमा करा दी गई है (प्रमाण पत्र संलग्न)।

शर्त सं0 5(ख) :– के अनुपालन में अवगत कराना है कि यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित धनराशि की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी (प्रमाण–पत्र संलग्न है)।

शर्त सं0 6 :– के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम रखा जाएगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 191 **trees and 97 saplings** से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा करा दी जाएगी।

शर्त सं0 7 :– के अनुपालन में अवगत कराना है कि वन क्षेत्र में पातन होने वाले वृक्षों की सूची (191 Trees and 97 saplings) ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है।

शर्त सं0 8 :– के अनुपालन में अवगत कराना है कि सी०ए० क्षेत्र का स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है ।

शर्त सं0 9 :– के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण एंव अन्य धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड़ में हस्तान्तरित/ जमा की जाने वाले धनराशि ई–पोर्टल के माध्यम से ही जमा की गई है।

सं0 10		के अनुपालन में अवगत कराना है कि गाईड़लाईनस में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा–11.2 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति वन विभाग को प्रेषित की जायेगी। साथ ही यह इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।
शर्त सं0 11	:–	के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ आर ए, 2006 का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।(प्रमाण पत्र संलग्न)।
शर्त सं0 12	:–	के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आई.आर.सी. मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाई जायेगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।
शर्त सं0 13	:–	के अनुपालन में अवगत कराना है कि संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।
शर्त सं0 14	:–	के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण संरक्षण 1986 के प्राविधानों के अनुसार यदि आवश्यक हो तो पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
शर्त सं0 15	:–	के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
शर्त सं0 16	:–	के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों /स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।
शर्त सं0 17	:–	के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी। जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति नहीं पहुंचेगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।
शर्त सं0 18	:–	के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि का 4 फीट ऊंचे आर.सी.सी. पिलर द्वारा सीमांकन किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
शर्त सं0 19	:–	के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निमार्ण सामाग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।
शर्त सं0 20	:–	के अनुपालन में अवगत कराना है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
शर्त सं0 21	:–	के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए वनभूमि का प्रयोग नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वनभूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
शर्त सं0 22	:–	के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का पालन किया जाएगा।
शर्त सं0 23	:–	के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय समय पर निर्धारित शर्तो का पालन किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
शर्त सं0 24	:–	के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रस्ताव में संलग्न मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में, अथवा वनविभाग द्वारा भी किया जा सकता है। निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
शर्त सं0 25	:–	के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति ली जायेगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।
शर्त सं0 26	:–	के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल पर भी अपलोड़ की जायेगी।

o/c

संलग्न –उपरोक्तानुसार पांच–पांच प्रतियों में।

05/08/2023

(इं0 डी0पी0 आर्य)
अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0,लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर

पत्रांक 2260/33सी दिनांक 05/08/2023

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता (प्रथम) अ0ख0 लो0नि0वि0 श्रीनगर मु0–कीर्तिनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि राजि अधिकारी कार्तिनगर राजि डांगचौरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

05/08/23

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0,लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0– कीर्तिनगर